

जिला 360 DT-16-J-4

10
1

(2)

संख्या- 867 आर.ए.ए.ए.ए.-2-09-226जी/08

प्रति,

श्री एस.एम.एस. अहदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
माओ उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

वार्ड अ.भाग-2 अधीनस्थ न्यायालय।

दिनांक 11 मई, 2009

विषय:- रिट पिटीशन।सी। संख्या-1022/1989 आर.ए.ए.ए. जेज
एसोसिएशन तथा अन्य कर्तव्य भारत सरकार तथा अन्य में
माओ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-08
संपादित आदेश दिनांक 15-7-2008 के संदर्भ में अधीनस्थ
न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों
के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग।शेड्यूल आयोग।
द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माओ उच्च न्यायालय के क्रमांक 12960/
5-ई-60/एडमि.डी।, दिनांक 14-10-2008 तथा 12959/5-ई-60/एडमि.
डी। दिनांक 14-10-2008 के संदर्भ में एवं शासनलेखा संख्या-2071/आर.
न्याय-2-08-132जी/08, दिनांक 29-9-08, संख्या-3565 व 3566/आर.न्याय-2-
08-132जी/08 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा संख्या-3568/आर.न्याय-2-08-
227जी/08, दिनांक 18-10-08 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निश्चय हुआ है
कि रिट पिटीशन।सी। संख्या-1022/1989 आर.ए.ए.ए. जेज एसोसिएशन
तथा अन्य कर्तव्य भारत सरकार तथा अन्य में माओ उच्चतम न्यायालय द्वारा
पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 संपादित आदेश दिनांक 15-7-2008 के
अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/
कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग।शेड्यूल आयोग।
द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में समकक्षितारोपरांत अधीनस्थ
न्यायालयों में काम केवरी की श्रेणी में जाने वाले निम्नलिखित कर्मचारियों
को प्रारम्भिक दर पर एक वेतनमू.दि अनुदान किये जाने की श्री राज्यापन
महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- सदर मुंशरिम, वेतनमू. सहयोग सम्बन्ध जिला जज/अपर जिला जज/
स्पेशल जज वेतनमान Rs 5500-7000/-

-2-

-2-

- 2- सेन्ट्रल नॉजिर/रिकॉर्ड कीपर/सिविल सेक्रेटरी/क्लर्क/हेड का पिस्ट/मुंरिम जेससीसी एवं एडिप्रिन्सल जेससीसी/मुंरिम-कम-रीडर ₹04500-7000/-
- 3- डिप्टी नॉजिर/रिकॉर्ड कीपर/क्रिमिनल/मुंरिम क्लर्क/मिओ क्लर्क/इक्की क्लर्क/डिप्टी राइटर/क्लर्क टू सीएमएम, सीजेएम, जेएम आदि/लाइब्रेरियन/हेड का पिस्ट/सिविल व क्रिमिनल आदि/रीडर/मुंरिम सिविल जज/सीनियर डिप्टी जज/जूनियर डिप्टी जज/अपर सिविल जज/सीनियर डिप्टी जज/जूनियर डिप्टी जज तथा स्टेनोग्राफर वेतमान ₹04000-6000/-
- 4- का पिस्ट/सिविल व पुलिस केस डायरी/असिस्टेंट एकाउण्ट क्लर्क/एडिप्रिन्सल क्लर्क/कोर्ट क्लर्क/एडो क्लर्क/राइटर एवं रनर/टाइपिस्ट आदि वेतमान ₹03050-4590/-
- 2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 1-4-2003 से प्रभावी माने जायेंगे।
- 3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वाल वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखाधीन "2014-व्यय प्रशासन-आयोजन-105-सिविल और सेवान-व्यय-03-जिला तथा सेवान-व्यय-धीन" की सुसंगत इकाईयों के तहत डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त वित्त आयोग अनुभाग-1 के अध्यासकीय संख्या-वे0 ATO-1-251/स-09 दिनांक 8-5-2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भाटीय,

एसएमएमओ आरटी
प्रमुख सचिव

संख्या-867/सात-व्यय-2-09, तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आतशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- सम्मत जयपुर न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
- 2- सम्मत कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- वित्त वित्त आयोग अनुभाग-1/2 तीन-तीन प्रतियों में।

- 2- लेवल ना जिर/रिकार्ड कीपर। सिविल। सेफेण्ड क्लर्क/हेड कापिस्ट/मुंरिम
जेससीसी एवं एडिशनल जेससीसी/मुंरिम-कम-रीडर ₹04500-7000/-
- 3- डिप्टी ना जिर/रिकार्ड कीपर। क्रिमिनल। मूड्स क्लर्क/मिओ क्लर्क/
इक्जीक्यूटिव क्लर्क/डिप्टी रजिस्टर/क्लर्क टू सीएमएम, सीजेएम, जेएम आदि/
नाइपेरियन/हेड कापिस्ट। सिविल व क्रिमिनल। आदि/रीडर/मुंरिम,
सिविल जज। सी-रियर डिप्टी जज। जूनियर डिप्टी जज। अपर सिविल जज
सी-रियर डिप्टी जज/जूनियर डिप्टी जज। तथा स्टेशनो ग्राफर वेतनमान
₹04000-6000/-
- 4- कापिस्ट। सिविल व पुलिस लेस डायरी। असिस्टेंट एकाउण्ट क्लर्क/
एडिशनल क्लर्क/कोर्ट क्लर्क/एडो क्लर्क/रजिस्टर एवं रनर/टाइपिस्ट आदि
वेतनमान ₹03050-4590/-
- 2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 1-4-2003 से प्रगची माने जायेंगे।
- 3- उपर्युक्त पर दिये वाला व्यव बतलू वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-
व्यय के अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखापरीक्षा "2014-वर्ष प्रशासन-
आयोजन-105-सिविल और सेवान-वर्ष-03-जिला तथा सेवान-
वर्षाधीन" की सुसंगत इकाईयों के नामों डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त। वेतन। आयोजना अनुभाग-1 के अध्यापकीय संख्या-वे0
आओ-1-251/आ-09 दिनांक 8-5-2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी
किये जा रहे हैं।

भाटीय,

एसएमएमओ आदमी।
प्रमुख सचिव

संख्या-86711/आत-वर्ष-2-09, तदनुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- समस्त जनपद वर्षाधीन, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- वित्त। वेतन। आयोजना अनुभाग-1/2। तीन-तीन प्रतियों में।

प्रेषक:

एस0 कें0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषय:-रिट पिटीशन (शा) संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजेज-एसोसिएशन तथा अन्य वक्ताग भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-01-08 संपठित आदेश दिनांक 15-7-2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेड्यूलि आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-867/सात-न्याय-2-09-226जी/08, दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसार- अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेड्यूलि आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों में कामन कैटेगरी की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को प्रारम्भिक दर एक वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07-10-2009 के अनुपालन में उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

“शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेड्यूलि आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों में कामन कैटेगरी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रारम्भिक दर के स्थान पर अद्यतन मूल वेतन (existing pay scale) पर एक वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।”

3- इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- उपर्युक्त आदेश दिनांक 11-04-2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

5- यह आदेश वित्त (वेतन) अनुभाग-1 के अथ
संख्या--यू0ओ0--वे0आ0-1-647/वस-13, दिनांक 29 अगस्त, 2013 में प्राप्त
सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

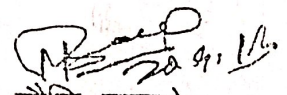
भव

(एस0 के0 पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या-1252(1)/सात-न्याय-2-2013, तद्विनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
 - 2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन) प्रतियों में।
 - 4- नहालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1/2 तथा आडिट-1/2
उत्तर प्रदेश।
 - 5- विशेष सचिव एवं अपर सचिव, विधि कोष्ठक, उत्तर प्रदेश
नई दिल्ली।
 - 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
 - 7- न्याय अनुभाग-9 (दफ्तर)
 - 8- गार्ड बुक हेतु।
 - 9- संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,


(चन्द्र गौलि शुक्ल)
विशेष सचिव